फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

जे एम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, (रिटेल जून 2022 – ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए) कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में पंजीकृत कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 7 वीं मंजिल, Cnergy-Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, मुंबई 400025. इसका प्रतिनिधित्व इसके अधिकृत अधिकारी सुश्री सिंदुजा पिल्लई।

– प्रार्थी

बनाम

1. देवा पुत्र उदा निवासी बिनोल तहसील व जिला राजसमंद राजस्थान – 313327

– ऋणी

बंधक सम्पत्ति का विवरण :–

देवा पुत्र उदा जी, आरजी नं – 844 गांव वणाई, ग्राम पंचायत वणाई, पंचायत समिति राजसमंद, जिला राजसमंद, राजस्थान – 313327

2. गीता गुर्जर पत्नि देवीलाल निवासी गुर्जर बस्ती वणाई, बिनोल, राजसमंद राजस्थान – 313327

– सहऋणी

– अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 36/2024**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 21.08.2024 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी जे एम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने इस न्यायालय में दिनांक 02.08.2024 को धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थी संख्या 01 जो कि ऋणी व बंधककर्ता है, अप्रार्थी सं. 02 सहऋणी है, को कुल रूपये 4,00,000/– की ऋण सुविधा दिनांक 30.12.2015 को उपलब्ध कराई थी व अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण सुविधा के एवज में बंधक विलेख को निष्पादित कर अचल सम्पत्ति आरजी नं – 844 गांव वणाई, ग्राम पंचायत वणाई, पंचायत समिति राजसमंद, जिला राजसमंद में स्थित है। जिसका कुल क्षैत्रफल 1036 वर्गफीट हैं। जिसकी चतुर्थ सीमा पूर्व में – मण्डरा देवरा, पश्चिम में – आम रास्ता, उत्तर में – भेरू जी का मन्दीर, दैक्षिण में – स्वयं का बाडा व रामलाल का मकान है। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 28.02.2023 को अक्रियान्वित आस्ति मे वर्गीकृत कर दिया है अप्रार्थीगण के खाते मे दिनांक 09.11.2023 को बकाया राशि 4,40,172/– रूपये अक्षरे चार लाख चालीस हजार एक सौ बहत्तर रूपये मात्र तक शेष देय है व	

दिनांक 09.11.2023 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी द्वारा उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 09.11.2023 को नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया और जिसकी प्राप्ति के बाद भी पुनः देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नही दिया। अप्रार्थीगण ने देय ऋण राशि का भुगतान बावजुद मांग के भी प्रार्थी को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को वर्णित बंधक रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने के अधिकारी है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पति का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी वित्तिय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावें।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का नोटिस दिनांकः 09.11.2023 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे पेश की गयी। उसके बावजुद भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी बंधक सम्पति का विवरण देवा पुत्र उदा जी, आरजी नं – 844 गांव वणाई, ग्राम पंचायत वणाई, पंचायत समिति राजसमंद, जिला राजसमंद, राजस्थान – 313327 है। जिसका कुल क्षैत्रफल 1036 वर्गफीट हैं। जिसकी चतुर्थ सीमा पूर्व में – मण्डरा देवरा, पश्चिम में – आम रास्ता, उत्तर में – भेरू जी का मन्दीर, दक्षिण में – स्वयं का बाडा व रामलाल का मकान है।

उपरोक्त प्रकराणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी जे एम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी जे एम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0 भंवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर